**भारत सरकार**

**पर्यावरण एवं वन मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 27**

**05.12.2013 को उत्तर के लिए**

**'होटलों के अपशिष्ट नियंत्रण हेतु कार्य योजना'**

**27. श्री बैष्णव परिडा :**

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्रीयहबताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली और अन्य महानगरों में आलीशान होटल अधिकतम मात्रा में अपशिष्ट पैदा कर रहे हैं/जल का दुरुपयोग कर रहे हैं जो बदले में नगरों में पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं;

(ख) क्या कुछ राज्य सरकारों ने नगरों में स्वच्छ पर्यावरण सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान करने हेतु ऐसे अपशिष्ट को नियंत्रित करने के लिए कार्य योजना तैयार की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या दिल्ली सरकार ने राजधानी शहर दिल्ली में पांच सितारा होटलों हेतु ऐसी कार्य योजना तैयार की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्रीमती जयंती नटराजन )**

(क) से (ग) होटलों में अपशिष्‍ट जल अतिथि कक्ष, रसोईघर, लॉन्‍ड्री, फर्श धुलाई, तरणताल, शौचालय, स्‍नानगृह आदि से निकलता है । अपशिष्‍ट जल के प्रबंधन हेतु अपनायी गई प्रणाली के आधार पर होटलों से निकलने वाला अपशिष्‍ट जल कुल प्रयुक्‍त जल के 51% से 93% तक होता है । सभी होटलों के लिए संबंधित राज्‍य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति से स्‍थापना स्‍वीकृति और प्रचालन-स्‍वीकृति लेना जरूरी होता है। सभी होटलों के लिये यह भी अपेक्षित है कि वे पर्यावरण अैर वन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किए गए निर्धारित मानकों का अनुपालन करें ।

 होटल उद्योग में पर्यावरण प्रबंधन संबंधी दिशा-निर्देश सरकार द्वारा जारी कर दिये गये हैं । पांच सितारा होटलों को सलाह दी गई है कि वे पर्यावरण अनुकूल समुचित उपाय जैसेकि अपशिष्‍ट में कमी, जल संरक्षण, ऊर्जा सरंक्षण करें और हरित होटलों संबंधी दिशा‍-निर्देशों में परिकल्पित पर्यावरण के प्रति जवाबदेह क्रय प्रणालियों का पालन करें । दिल्‍ली प्रदूषण नियंत्रण समिति/राज्‍य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा होटलों में अनुपालन के लिए इन दिशा-निर्देशों को लागू किया जा रहा है। हरित होटलों संबंधी दिशानिर्देश अनुबंध में दिए गए हैं।

**'होटलों के अपशिष्ट नियंत्रण हेतु कार्य योजना' के संबंध में दिनांक 05.12.2013 को उत्तर के लिए श्री बैष्णव परिडा द्वारा पूछे गए राज्‍य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 27 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध**

**''हरित'' होटलों हेतु दिशानिर्देश**

**1. पर्यावण अनुकूल उपाय :**

* धनराशि के साथ-साथ पानी बचाने हेतु सफाई, फ्लश वाशिंग और बागवानी प्रयोजनों के लिए जल के पुन: प्रयोग हेतु अपशिष्ट जल का त्रिस्तरीय शोधन।
* घरेलू और जैविक अंश युक्त अपशिष्ट जल के फिस्को-केमिकल शोधन की तुलना में शोधन की जैवीय प्रणाली को वरीयता, अवमल में कमी करने के साथ-साथ अवमल का खाद के रूप में प्रयोग करना ।
* जैविक अपशिष्ट परिवर्तक के जरिए जैविक अपशिष्ट की खाद बनाना और उसका खाद के रूप में पुन:प्रयोग करना ।
* पत्तियों की खाद बनाना ।
* मुख्य मार्गों से बफर जोन बनाने के लिए हरित पट्टी का विकास करना ।
* ऑयल फायर्ड/कोल फायर्ड बॉयलर की तुलना में गैस आधारित बॉयलर को वरीयता देना ।

**2. अपशिष्ट न्यूनीकरण उपाय**

* अतिथि कक्षों के लिए रिफिल सोप, हेयर रिन्स और हैंड लोशन डिस्पेन्सर्स खरीदना।
* आंशिक रूप से प्रयुक्त उत्पादों को दान करना ।
* रसायनों, रंजकों अथवा विंरजकों रहित 100% प्राकृतिक सूती कपड़े से बने हुए तौलिए और चादरें खरीदना।
* प्रयुक्त वस्‍त्रों को स्थानीय आश्रय-स्‍थल अथवा अन्य धमार्थ स्थानों में दान करना ।
* वस्‍त्रों को बदलने और धोने की बारम्‍बारता को कम करना । जिन तौलियों का अतिथि पुन:प्रयोग करने के इच्छुक हैं, उन्हें पुन:प्रयोग में लाने देना । इससे संबंधित अनुदेश प्रदर्शित करना ।
* बची हुई साफ खाद्य सामग्री स्थानीय आश्रय-स्‍थलों अथवा खाद्य सामग्री बैंकों में दान करना।
* अतिथि कक्षों अथवा तलों के लिए पुनचर्क्रण कूड़ादान खरीदना ।
* छोड़ी गयी बंद सामग्री का अगले अतिथि द्वारा प्रयोग ।
* आधे भरे हुए टॉयलेट पेपर, रौल और टिशु बॉक्स को तब तक बदलने के लिए प्रतीक्षा करना जब तक वे लगभग पूरी तरह प्रयुक्त न हो जाएं ।
* अतिथि कक्षों में बिना लपेटे हुए, पुन:प्रयोग में लाने योग्य पानी पीने के गिलासों और काफी के लिए कपों की व्‍यवस्‍था करना ।
* डिस्पोजेबल पेपर कवर को प्रयोग में लाने के स्थान पर ट्रे में गिलासों को उलटा रखने की स्थानीय स्वास्थ्य विभाग से जांच कराना ।
* एक बार ही प्रयोग में लाई जाने वाली मदों के स्थान पर पुन: प्रयोग में लाई जाने वाली मदों जैसे नैपकीन, मेजपोश और हैण्ड टॉवल का प्रयोग करना । जब वे फटी-पुरानी हो जाएं तब उन्हें सफाई के लिए प्रयोग में लाना ।
* छोटे पुन: प्रयोग योग्‍य कंटेनरों में बड़े कंटेनरों से सफाई उत्‍पादों को भरना।
* एक बार प्रयोग में लाये जाने वाले एरोसोल कैन के स्थान पर रिफिलेबल पंप स्प्रे बोतलों का प्रयोग करना।
* ऐसे विक्रेताओं से सामग्री खरीदना जो शिपिंग उत्पादों हेतु प्रयुक्‍त कन्टेनरों को वापस लेना स्वीकार करें ।
* खाने की बर्बादी को कम करने के लिए अतिथियों को आधी मात्रा में भोजन सामग्री आर्डर करने का विकल्प देना।
1. **जल संरक्षण उपाय**
* 200 कमरे वाले होटल, 50% तक कमरों के भरे होने पर एक वर्ष में लगभग आठ मिलियन गैलेन जल का उपयोग करते हैं। वाटर-एफिशियेंट फिक्सचर प्रयोग में लाने से एक वर्ष में लगभग 2.5 मिलियन गैलन पानी की बचत की जा सकती है।
* अतिथि कक्षों और सार्वजनिक विश्राम कक्षों में रिट्रोफिट फिक्सचर्स लगाना। कम पानी के प्रवाह वाले शावरहेड, बॉथ और सिंक फॉसेट ऐरेटर्स और शौचालयों का प्रयोग करना ।
* वॉशिंग मशीनों और डिशवाशर्स को केवल पूरे लोड के साथ संचालित करना और लीक होने की स्थिति में तुंरत मरम्मत कराना ।
* कपड़ों और वस्‍त्रों को ठंडे पाने से धोना, गर्म पानी का प्रयोग केवल अत्यधिक गंदे कपड़ों की धुलाई हेतु करना ।
* लॉन में पानी केवल शाम के समय डालना ताकि वाष्पीकरण को कम किया जा सके और उसका प्रभाव अधिकतम रहे ।
* जहां संभव हो, वहां टॉयलेट डैम स्थापित करना ।
* वाष्पीकरण को कम करने के लिए अपने लॉन में स्प्रिंकलर्स के स्थान पर सोकर होसेस का प्रयोग करना।

**4. ऊर्जा संरक्षण उपाय**

* खिड़कियों, विशेषकर पश्चिम और दक्षिणोमुखी खिड़कियों को धूप से बचाने के लिए ड्रेपर, शेड्स अथवा शटर से ढकना ।
* सभी अनावश्यक लाईटों को बंद करना । कक्षों में सकेत-पट्ट लगाकर अतिथियों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करना।
* विशेषकर खाली कमरों में गर्मियों में अधिकतम आरामदायक तापमान (78 फारेन्हाईट अथवा उससे अधिक पर) और सर्दियों में न्यूनतम आरामदायक तापमान (58 फारेन्हाईट अथवा उससे कम पर) पर रूम थर्मोस्टेट को सेट करना।
* दरवाजों और खिड़कियों के चारों ओर एयर गैप को बंद करने के लिए वेदर स्ट्रिपिंग का प्रयोग करना ।
* बल्ब के स्थान पर कम-वाट की फ्लूरोसेंट लाईट का प्रयोग करना ।
* जहां तक संभव हो,फ्लूरोसेंट लाईट का प्रयोग करना । शुरूआत में वे अधिक मंहगे हैं, किंतु कम ऊर्जा की खपत करते हैं और लंबे समय तक चलते हैं और इस तरह धन की बचत होती है ।
* खाना पकाने/सोलर लाईटिंग/सोलर एसी के लिए सोलर वाटर हीटिंग/पैराबोलिक कन्सनट्रेटर लगाना।
* डीजल जेनरेटर सेटों के स्थान पर इनवर्टर के प्रयोग को वरीयता देना ।

**5. पर्यावरणीय दृष्टि से जवाबदेह क्रय पद्धतियां**

* पुनर्चक्रित उत्पादों को खरीदना/पुनर्चक्रित कागज से बने हुए टॉयलेट टिशू पेपर, फेशियल टिशु और पेपर टॉवल खरीदना ।
* बायोडिग्रेडेबल सफाई उत्पाद खरीदना ।
* लेटर हैड, अतिथि कक्ष की लेखन सामग्री आदि हेतु पुनचक्रित कागज का प्रयोग करना ।
* प्रदूषण मुक्त इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करना ।

**6. अन्य**

* अधिकांश पांच सितारा होटल केवल किचन और लॉन्ड्री से उत्पन्न अपशिष्ट जल को ही शोधित कर रहे हैं। अशोधित घरेलू सीवेज को बिना शोधन के सीधे सीवेज में बहाया जा रहा है । किचेन, लॉन्ड्री और घरेलू सीवेज से उत्पन्न समूचे अपशिष्ट जल को जैवीय एसटीपी में शोधित किया जाना चाहिए ।
* शोधित जल को प्रयोग में लाने से दिल्ली जल बोर्ड की जलापूर्ति प्रणाली और भू जल के संदर्भ में जल की आवश्यकता पर भार में काफी कमी आने के साथ-साथ, सीवर नेटवर्क पर अपशिष्ट जल के भार में भी कमी आ सकती है।
* रूफटाप और वर्षा जल संचयन हेतु वर्षा जल संचयन प्रणाली की स्थापना ।
* जहां तक संभव हो, गैस आधारित हॉट वाटर जेनरेटर और बॉयलर का प्रयोग किया जाना चाहिए । सौर जल हीटर का प्रयोग करके हाईब्रिड किस्म के हॉट वॉटर जेनरेटर के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
* पानी गर्म करने की पारम्परिक प्रणालियों को चरणबद्ध ढंग से समाप्‍त किया जाए और उनके स्थान पर सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम स्थापित किया जाना चाहिए ।
* गर्म करने, संवातन, वातानुकूलन की सभी आवश्यकताओं के लिए एकीकृत एचवीएसी प्रणाली की योजना बनायी जाए।
* शोधन-पूर्व संयंत्र/टंकी से एकत्रित हुए तेल और ग्रीस को संगठित क्षेत्र में साबुन बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाए ।

\*\*\*\*\*\*